UPKU010002722024

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–प्रथम, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित:–**सत्यपाल सिंह प्रेमी**, **एच०जे०एस०**–UP01829

1. सत्र परीक्षण संख्या–70/2024

उत्तर प्रदेश राज्य,

––––अभियोजन पक्ष

बनाम

संजय प्रसाद बउम्र वर्ष पुत्र बाबूलाल प्रसाद,

साकिन–बनकटा, थाना–कप्तानगंज, जनपद–कुशीनगर,

––––अभियुक्त

1.	मामले का क्रमांक संख्या	सत्र परीक्षण संख्या–70/2024
2.	अपराध किये जाने की तारीख	दिनांक 02.10.2023
3.	मुकदमा अपराध संख्या	463/2023 दिनांकित 02.10.2023, 13:56 बजे
4.	अन्तर्गत धारा	304 भा०दं०सं०
5.	थाना	कप्तानगंज
6.	जिला	कुशीनगर
7.	शिकायतकर्ता/वादिनी का नाम	श्रीमती गोधनी देवी पत्नी बाबूलाल प्रसाद, साकिन–बनकटा, थाना–कप्तानगंज, जिला–कुशीनगर
8.	अभियुक्तगण का विवरण	संजय प्रसाद पुत्र बाबूलाल प्रसाद
9.	अपराध जिसका विचारण किया गया	304 भा०दं०सं०
10.	अपराध जो साबित हुआ	304(1) भा०दं०सं०
11.	अन्तिम बहस का दिनांक	05.06.2026
12.	अन्तिम निर्णय	दोषसिद्ध
13.	अन्तिम निर्णय की तिथि	11.06.2026

<u>निर्णय</u>

01– प्रस्तुत मामला, जो मुकदमा अपराध संख्या–463/2023, थाना–कप्तानगंज, जिला–कुशीनगर से सम्बन्धित है, का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें थाना– कप्तानगंज के द्वारा अन्तर्गत धारा–304 भा०दं०सं० में आरोप पत्र **(प्रदर्श–क–03)** प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर स्थान पडरौना द्वारा दिनांक 09.01.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया, जिसे विचारण हेतु दिनांक 17.01.2024 को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, कुशीनगर स्थान पडरौना के न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

02– पत्रावली पर उपलब्ध वादिनी मुकदमा गोधनी देवी की लिखित तहरीर कागज सं० 5क/1 **(प्रदर्श क–2/P.W.–1)** के आधार पर थाना– कप्तानगंज, जिला कुशीनगर में दिनांक 02.10.2023 को समय 13:56 बजे मु०अ०सं० 463/2023 पर अभियोग पंजीकृत कर कागज सं० 6क/1 ता 6क/3 चिक एफ०आई०आर० **(प्रदर्श क–6/P.W.–7)** किता की गयी और विवेचक को विवेचना सुपुर्द की गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध लिखित तहरीर, प्रदर्श क–2, कागज सं० 5क/1 इस प्रकार है कि "प्रार्थिनी गोधनी देवी पत्नी बाबूलाल प्रसाद, निवासी ग्राम बनकटा, पो०–बनकटा, थाना–कप्तानगंज, जनपद–कुशीनगर के स्थायी निवासी है। दिनांक 02.10.2023 को समय करीब रात्रि 4 बजे मेरा लड़का संजय प्रसाद पुत्र बाबूलाल अपनी पत्नी प्रमिला देवी को फावड़े से सिर पर मार दिया था, जिससे उसका सर फट गया था। जिसको दवा इलाज हेतु मेरे पति गोरखपुर मेडिकल कालेज गोरखपुर ले गये थे, जहाँ दौरान दवा इलाज मेरी बहू प्रमिला देवी उम्र करीब 42 वर्ष मृत्यु हो गयी है।''

उपरोक्त तहरीर के आधार पर मु०अप०सं० 463/2023 अन्तर्गत धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कप्तानगंज में संजय प्रसाद के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रचलित की गई। विवेचक के द्वारा बाद विवेचना अभियुक्त संजय प्रसाद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–304 भा०दं०सं० में आरोप पत्र संख्या–A482/2023 दिनांकित 27.11.23, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उक्त आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के द्वारा संज्ञान लेकर तथा अभियुक्त संजय प्रसाद को धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में आवश्यक प्रपत्र प्रदान कराकर विचारण हेतु मामले को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुपुर्द कर दिया गया।

03– दिनांक 14.02.2024 को अभियुक्त संजय प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता तथा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुनने के पश्चात सत्र न्यायालय, कुशीनगर स्थान पडरौना के द्वारा अभियुक्त संजय प्रसाद के विरूद्ध धारा 304 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त आरोप से इंकार करते हुए विचारण की याचना की गयी।

04– अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है:–

1.	P.W.–01	सत्यम कुमार	मृतका का बेटा
2.	P.W.–02	पन्ने लाल	मृतका का भाई
3.	P.W.–03	राबड़ी देवी	मृतका की माँ
4.	P.W.–04	डा० राजेश कुमार सिंह	पोस्टमार्टमकर्ता
5.	P.W.–05	श्रीमती गोधनी	वादिनी मुकदमा
6.	P.W.–06	उ०नि० नागेन्द्र गौड़	विवेचक
7.	P.W.–07	हे०मो० सुरेन्द्र राय	FIR लेखक व नकल कायमी
8.	P.W.–08	विवेक कुमार मिश्रा	पंचायतनामा साक्षी

05– अभियोजन की ओर से निम्न प्रपत्रों को साबित कराया गया–

1.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट, का०सं० 9 क/1	प्रदर्श क–01	P.W.–4 डा० राजेश कुमार
2.	मूल तहरीर, का०सं० 5 क/1	प्रदर्श क–02	P.W.–5 गोधनी
3.	आरोप पत्र, का०सं० 3 क/1	प्रदर्श क–03	P.W.–6 नागेन्द्र गोड़
4.	नक्शा नजरी, का०सं० 7 क/1	प्रदर्श क–04	P.W.–6 नागेन्द्र गोड़
5.	फर्द बरामदगी आलाकत्ल फावड़ा, रंक्त रंजित मिट्टी व एक डिब्बे मे सादी मिट्टी का०सं० 11 क/1	प्रदर्श क–05	P.W.–6 नागेन्द्र गोड़
6.	चिक F.I.R., का०सं० 6 क/1 ता 6 क/3	प्रदर्श क–06	P.W.–7 सुरेन्द्र नाथ राय
7.	नकल रपट, का०सं० 6 क/4	प्रदर्श क–07	P.W.–7 सुरेन्द्र नाथ राय
8.	डाकेट, का०सं० 13 क/15	प्रदर्श क–08	P.W.–6 नागेन्द्र गोड़

9.	पंचायतनामा, का०सं० 8 क/1	प्रदर्श क–9	P.W.–8 विवेक कुमार मिश्रा
10.	पुलिस प्रपत्र–13, का०सं० 13 ख/6	प्रदर्श क–10	P.W.–8 विवेक कुमार मिश्रा
11.	फोटो नाश, का०सं० 13 ख/9	प्रदर्श क–11	P.W.–8 विवेक कुमार मिश्रा
12.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, का०सं० 11 क/1	प्रदर्श क–12	अभियोजन द्वारा साबित किया गया,

06– अभियोजन की ओर से निम्न वस्तु प्रदर्श को साबित कराया गया है–

1.	माल मुकदमाती	वस्तु प्रदर्श–1	P.W.–6 उ०नि० नागेन्द्र गोड़
2.	सादी मिट्टी	वस्तु प्रदर्श–2	P.W.–6 उ०नि० नागेन्द्र गोड़
3.	खून आलूदा मिट्टी	वस्तु प्रदर्श–3	P.W.–6 उ०नि० नागेन्द्र गोड़
4.	मृतका के कपड़े की पोटली	वस्तु प्रदर्श–4	P.W.–6 उ०नि० नागेन्द्र गोड़
5.	अभियुक्त की टी शर्ट की पोटली	वस्तु प्रदर्श–5	P.W.–6 उ०नि० नागेन्द्र गोड़
6.	तकिये के खोल की पोटली	वस्तु प्रदर्श–6	P.W.–6 उ०नि० नागेन्द्र गोड़
7.	आलाकत्ल कुदाल वेट सहित	वस्तु प्रदर्श–7	P.W.–6 उ०नि० नागेन्द्र गोड़

इस स्तर पर न्यायालय अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संक्षेप में विवरण करना उचित समझता है।

06– <u>अभियोजन साक्ष्यः–</u>

<u>P.W.–1, सत्यम कुमार –</u>

P.W.–1 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 25.04.2024 में कहा है कि "घटना दिनांक 02.10.2023 की समय 4 बजे रात की है। मृतका माता प्रमिला देवी के पास सो रहा था। मेरे पिता संजय ने मेरी माता प्रमिला देवी को कुदाल/फावड़ा से सर पर मार दिया। मेरी माँ का सर फट गया मेरे पिता जी संजय मेरी माता को कुदाल से काट कर मुझे धक्का देकर भाग गये। मेरी माता का इलाज मेरे दादा बाबूलाल गोरखपुर मेडिकल कालेज लेकर गये थे। जहाँ इलाज के दौरान मेरी माता प्रमिला देवी की मृत्यु हो गयी। जहाँ मेरी माता और मैं सोयी थी, चादर पर

मेरी माता को चोट लगने से खून लगा था और मेरे पापा संजय वही कुदाल छोड़कर मुझे धक्का देकर भाग गये। मेरी माता का पोस्टमार्टम पंचायतनामा हुआ था। साक्षी का का०सं० 8क/1, 9क/1 पंचायतनामा दिखाया गया जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। दरोगा जी पंचायतनामा के साथ मुझसे पूछे थे तो मैंने बताया कि मेरी माता को मेरे पिता से कुदाल से मार दिया है।

साक्षी को का०सं० 11क/1 फर्द बरामदगी एक अदद आलाकत्ल फावड़ा रक्त रंजित मृतका के कपड़े व एक अदद रक्त रंजित तकिया खोल व एक डिब्बे में रक्त रंजित मिट्टी व एक डिब्बे में सादी मिट्टी दरोगा जी ने मौके से लिया था। दरोगा जी ने लिखा पढ़ी करके मेरे हस्ताक्षर फर्द बरामदगी पर बनवाये थे। साक्षी फर्द बरामदगी 11क/1 पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। दरोगा जी मौके पर आये थे मैंने मौका दिखाया था। दरोगा जी मुझसे पूछताछ किये थे और मेरा बयान लिये थे। इस घटना की सूचना थाने पर मेरी पत्नी गोधनी देवी ने दिया था।''

<u>**प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष**</u>

P.W.–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि ''मेरे घर के उत्तर हरेन्द्र चाचा का घर है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं कक्षा 11 का परीक्षा दे चुका हूँ। मैं नेहरू इण्टर कालेज सुकरौली में पढ़ता हूँ। मैं अपने मामा के घर रह कर पढ़ता हूँ। मैं डेढ़ साल से मामा के घर रह कर पढ़ता हूँ। उसके पहले मैं पंचायत इण्टर कालेज बोदरवार कुशीनगर में पढ़ता था। मेरा जन्मतिथि रियल का 02 फरवरी 2008 है। हम लोग तीन भाई है, मेरी बहन नहीं है। मैं अपने भाईयों में सबसे छोटा हूँ। मुल्जिम संजय प्रसाद हमारे पिता है। मृतका हमारी मम्मी थी। घटना के समय मेरे घर पर केवल तीन लोग थे। मैं, मेरी माता व मेरे पिता थे। मेरे दो भाई घटना के समय बाहर कमाने गये थे। मरे पिता जी तीन भाई है। तीनों भाई अलग–अलग रहते है। मेरे दादा, दादी अभी जीवित हैं वे लोग छोटे चाचा के साथ रहते है। मेरे चाचा भी एक ही मकान में अलग रूम में रहते है। मकान में कुल तीन रूम है। सबके हिस्से में एक–एक रूम है। घटना के समय मेरी उम्र 16 वर्ष होने वाली थी। मेरे पिता जी मजदूरी करते थे। मेरे पिता जी घर पर रहकर मजदूरी करते थे। बाहर जाते थे तो भग कर घर चले आते थे। मेरे पिता जी बहुत शराब पीते थे। मेरे पिता जी मेरे जन्म के पहले से शराब पीते थे। जिस दिन घटना घटी उस दिन मेरे पिता शराब नहीं पिये थे। मैं घटना स्थल की चौहद्दी नहीं बता सकता। मैं चौहद्दी का मतलब समझता हूँ। घटना स्थल वाले रूम के पूरब शैलेश भईया का घर है तथा पश्चिम चाची का घर है। उत्तर भी चाची का घर है। दक्षिण बलवन्त भईया का घर है। मेरे घर में बिजली है। घटना के दिन लाईट थी लेकिन बंद थी फिर कहा जब मैं बाहर गया तो बल्ब जला कर गया था जिस समय मैं वहाँ गया उस समय टाईम नहीं बता सकता। मेरी मम्मी, पापा से एक महीना पहले झगड़ा हुआ था। जब पीकर आते थे तो गाली गलौज व

मार पीट करते थे तो झगड़ा होता था। मेरी माँ के पास मोबाईल था लेकिन वो नहीं चलाती थी। मैं मोबाईल चलाता था जिस रूम में घटना घटी उसमें एक ही दरवाजा था। घटना के समय दरवाजा खुला था। घटना के दिन मेरे पिता घर पर ही थे, उस दिन मजदूरी करने नहीं गये थे। मेरे पिता कितने दिन से घर बैठे थे, काम नहीं करते थे, याद नहीं है। मकान में मुझे एक रूम मिला था व बरामदा में घेर कर एक रूम बना कर खाना बनाते थे। जिस रूम में खाना बनता था उसमें कोई सोता नहीं था, केवल खाना बनता था। सभी लोग एक ही रूम में जब तीनों भाई व माता पिता होते थे तो एक ही रूम में सोते थे। घटना के दिन मेरे दोनों भाई बाहर थे। हम तीनों लोग एक ही कमरे में सोये थे, रूम इतना बड़ा है कि दो तख्ता आ जाता हैं। घटना के दिन मेरे मम्मी पापा व मैं एक ही साथ तख्ते पर सोये थे, कुदाल एक दिन पहले घर लगाये थे व जहाँ खाना बनता था उसी रूम में रखे थे। मेरे पापा जब मेरी मम्मी को पहली बार मारे तो आवाज सुना दूसरी बार मारे तो आवाज सुना उसके बाद मैं जग गया और अपने पिता जी का पैर पकड़ लिया मेरी माँ के सिर पर एक ही जगह बार–बार मार रहे थे, जिस रूम में हत्या हुई उसमें फर्स नहीं था, मिट्टी का था। हम लोग अपनी माता को हास्पिटल गोरखपुर मेडिकल कालेज में ले गया था जिस समय माता जी को अस्पताल लेकर गये थे। उस समय वह बेहोशी की हालत में भी इलाज के दौरान उसी दिन मेरी माता को जिस दिन मेडिकल कालेज ले गये थे। उसी दिन मृत्यु हो गयी थी लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गयी थी। पोस्टमार्टम गोरखपुर मेडिकल में ही हुआ था जब अपनी माता को दवा इलाज के लिए मेडिकल कालेज गया था तो मेरे साथ चाची, भईया व चाचा व आटो ड्राईवर साथ गये थे, लाश का पंचनामा गोरखपुर में हुआ था। पंचनामा पर मैंने भी हस्ताक्षर किया था। पन्नेलाल, सुरेन्द्र चाचा व और लोगों का नाम याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने पंचनामा का हस्ताक्षर बनाये थे। पंचनामा पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं घर चला आया लाश उसी दिन घर आयी दाह संस्कार अगले दिन सुबह हुआ था। थाने पर FIR बाबा व दादी ने जब पुलिस के लोग घर आये थे तो दिये थे। मैं थाने पर नहीं गया था। FIR घटना के दिन ही हुआ था फिर कहा अगले दिन मेरे मामा व नानी के साथ गया था। लेकिन उस दिन क्या हुआ हमको नहीं पता है। दरोगा जी मुझसे पूछताछ किये थे।

यह कहना गलत है कि मैंने कोई घटना अपनी आँखों से नहीं देखा है।

यह कहना गलत है कि मैं बाबा दादी के कहने पर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

यह कहना सही है कि मैं बाबा दादी से भी नफरत करता हूँ।''

<u>P.W.–2 पन्नेलाल –</u>

P.W.–2 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 14.02.2025 में कहा है कि "घटना दिनांक 02.10.2023 की है। 4 बजे भोर में मेरे भांजे सत्यम ने

मुझे फोन से बताया कि मेरी बहन प्रमीला देवी को फावड़े से मेरे बहनोई संजय ने सर पर जानलेवा प्रहार किया है, जिससे उनका सिर फट गया है। भांजा सत्यम प्रमिला की दवा इलाज हेतु मेडिकल कालेज गोरखपुर ले गया था। सूचना मिलने पर मैं अपनी मां रबड़ी देवी को लेकर गोरखपुर मेडिकल कालेज पहुँचा था। मेरे मेडिकल कालेज पहुँचने के कुछ ही देर बाद मेरी बहन प्रमिला देवी की बहनोई संजय द्वारा पहुँचायी गयी चोट के कारण दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। बहन प्रमिला के मृत्यु हो जाने पर उसके शव के पंचनामा की कार्यवाही की लिखा पढ़ी गुलहरिया थाने के दरोगा जी वही मौके पर मेरी माँ रबड़ी देवी, भांजा सत्यम, सत्यम के पट्टीदारी में के विरेन्द्र प्रसाद और बहन प्रमिला की देवरानी सरस्वती देवी जो सभी लोग उस समय गोरखपुर मरचरी हाउस में मौजूद थे हम लोगो को पंच नियुक्त कर दरोगा जी लिखा पढ़ी हम लोगों के सामने ही किये थे, लिखा पढ़ी करने के पश्चात हम लोग उस पर हस्ताक्षर बनाये थे। राय पंचान के रूप में मैंने कुदाल से सर पर पहुँचायी गयी चोट का कारण बताया था।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० 8क/1 पंचनामा पपत्र प्रमिला देवी दिखाया गया देख पढ़ कर स्वयं के सामने पंचनामा की लिखा पढ़ी होने व उस पर बने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान किया।

सत्यम ने मुझे जब घटना के बारे में बताया था तो मुझे यह भी बताया था कि बहनोई संजय ने बहन प्रमिला पर फावड़े की प्रहार करने के बाद सत्यम को धक्का देकर भग गया था। गोरखपुर से जब हम लोग बहन का शव लेकर उसके घर आये तो मैंने बेड व चादर पर लगे खून देखा था।

घटना के संबंध में सत्यम की दादी ने दरखास्त देकर मुकदमा लिखवाया था। जाँच पड़ताल में दरोगा जी मुझसे मिले थे व पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष –</u>

P.W.–2 ने बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कहा है "संजय मेरे बहनोई लगते है। मृतिका प्रमिला मेरी बहन थी। मैं अकेले हूँ, मेरा कोई और भाई नहीं है। मेरी छः बहने थी, मेरी बहन की शादी 25–30 साल पूर्व हुई थी। मेरी उम्र इस समय 42 वर्ष है। मेरे बहनोई संजय तीन भाई है। ये तीनों लोग अलग–अलग रहते है। संजय के तीन लड़के है। दो लड़के बाहर कमाते है व छोटा लड़का इस समय अपने पिता के घर पर है। यह घटना दो अक्टूबर वर्ष 2023 की है। घटना होते मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा था। मुझे घटना की जानकारी दो अक्टूबर को चार बजे हुई थी। घटना के 10–15 मिनट बाद मेरे पास फोन आया गया था। उस समय मैं अपने घर पर था। सूचना मिलने के बाद मैं हास्पिटल पर गया था, क्योंकि वह लोग कहे कि आप हास्पिटल पर आ जाईये मैं हास्पिटल पहुँचा तो मेरी बहन को

लेकर अस्पताल पहुँच गये थे। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो मेरी बहन ने मुझसे बात नहीं की क्योंकि वह बेहोश थी। मेरे जाने के 10–15 मिनट के बाद मेरी बहन अस्पताल में ही मर गयी। मर जाने के बाद मेरी बहन/मृतका के शव का पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद शव को लेकर हम लोग घर आये।

मेरी बहन को अस्पताल में मेरा भांजा सत्यम तथा मेरी बहन के देवरानी सरस्वती व उसके पट्टीदारी का विरेन्द्र ने अस्पताल लेकर गये थे। दवा कराने संजय नहीं गये थे, वह मेरे भांजे को धक्का देकर भाग गया था। थाने पर सूचना संजय की माँ ने दी थी। सत्यम मुझसे बताया था कि घटना के बाद संजय मुझे धक्का देकर भाग गये थे। थाने पर जब हम लाश लेकर आये दाह संस्कार हो जाने के बाद गया था। दाह संस्कार मेरी बहन के ससुराल में हुआ था, मैं लाश देखा था। मेरी बहन साड़ी पहनी थी। मेरी बहन हल्का लाल व क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी। पंचनामा मेरे सामने हुआ था। पंचनामा में मेरे अलावा मेरी माँ, सत्यम व मेरी बहन की देवरानी व विरेन्द्र नाम का एक लड़का था। पंचनामा मेडिकल कालेज में ही हुआ था, फिर कहा पंचनामा मेडिकल कालेज के बाहर एक चौकी है, वही पर हुआ था। दाह संस्कार जब हम लोग अस्पताल से बाड़ी लेकर आये थे उसी दिन हुआ था।

दरोगा जी मुझसे मेरा काम लिये थे दरोगा जी मुझसे यहाँ भी व कप्तानगंज थाने में भी पूछताछ किये थे।

यह कहना सही है कि मैंने घटना अपनी आँखों होते नहीं देखा था, क्योंकि मैं उस समय अपने घर पर था।

यह कहना सही है कि आज मैं वही बयान दे रहा हूँ जो सत्यम ने मुझसे फोन से बताया था। उसके अलावे मुझे कोई जानकारी नहीं है।

यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।''

<u>P.W.–3 राबड़ी देवी –</u>

P.W.–3 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 14.02.2025 में कहा है कि "घटना आज से करीब डेढ़ वर्ष पहले की है। मेरा नाती सत्यम ने मेरे लड़के पन्ने लाल के फोन पर सुबह के चार बजे के लगभग फोन से बताया कि मेरे दामाद संजय ने मेरी बेटी प्रमिला देवी के सिर पर फावड़े से मार कर उसका सिर फाड़ दिया है और सत्यम को धक्का देकर भग गया है। इस सूचना पर मैं अपने बेटे पन्नेलाल के साथ गोरखपुर मेडिकल कालेज जहाँ बेटी प्रमिला को इलाज हेतु नाती सत्यम ले गया था मैं भी मेडिकल कालेज पहुँची तो वहाँ पहले से ही बेटी प्रमिला को देवरानी सरस्वती देवी व सत्यम के पड़ोसी वीरेन्द्र व सत्यम मौजूद थे। हम लोगों के पहुँचने के कुछ देर बाद ही बेटी प्रमिला को संजय द्वारा पहुँचायी गयी चोट के कारण दौरान दवा इलाज मृत्यु हो गयी।

मेडिकल कालेज के मरचरी हाउस पर गुलहरिया थाने के दरोगा जी मौके पर मौजूद सत्यम, पन्नेलाल, वीरेन्द्र, सरस्वती देवी व मुझे पंच नियुक्त कर शव के पंचनामा की लिखा पढ़ी किये थे और मुझसे भी उस पर निशानी अंगुठा बनवाये थे। मैंने दरोगा जी को बताया था कि कुदाल से संजय ने बेटी प्रमिला के सिर पर गम्भीर चोट पहुँचायी थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई है।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० 8क/1 पंचनामा प्रपत्र दिखाया गया पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने तसदीक करते हुए उस पर बने अपने निशानी अंगुठा की पहचान किया। दरोगा जी घटना की जाँच पड़ताल घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ किये थे, मैंने उनको बयान दिया था।"

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

P.W.–3 ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मेरा नाम राबड़ी देवी है। आज मैं न्यायालय में गवाही देने आयी हूँ। मैं संजय प्रसाद को जानती हूँ। वह मेरे दामाद है। शादी हुए ज्यादे दिन हो गया है, इसलिए समय याद नहीं है। मृतका प्रमिला मेरी लड़की थी। मेरा एक लड़का व छः लड़कियाँ थी, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। पाँच जीवित है। मेरी पुत्री प्रमिला के तीन लड़के है। तीनों लड़के का नाम क्रमशः सूरज, भीखम, सत्यम है। ये तीनो लड़के मेरी लड़की के मरने के बाद मेरे पास ही रहते है। इस समय अपने घर पर रह रहे है। मेरी लड़की मृतका के दो लड़के बाहर कमाने गये है। संजय भी मजदूरी का कार्य करता था। संजय भी बाहर जाकर काम करता था। यह घटना दो अक्टूबर की डेढ़ साल पहले की है। संजय तीन भाई है। तीनों भाई अलग रहते है। अस्पताल में मर गयी तो उसके लाश के साथ उसके घर गयी थी। जब घटना घटी तो मैं अपने घर पर थी मैं हास्पिटल सुबह 7 बजे पहुँच गयी थी जब मैं हास्पिटल पहुँची तो प्रमिला मुझसे कुछ नहीं बतायी क्यों बोली बंद था प्रमिला को अस्पताल उसका लड़का सत्यम व पड़ोसी विरेन्द्र तथा देवरानी ने लेकर गये थे। हमारे अस्पताल पहुँचने के पाँच मिनट बाद मेरी प्रमिला का देहान्त हास्पिटल में हो गया। संजय अस्पताल में नहीं गया था वह घटना के बाद भग गया था मरने के बाद लाश लेकर घर चले आये तथा उसका दाह संस्कार हुआ था। मेरी लड़की प्रमिला का दाह संस्कार उसके ससुराल में हुआ था। संजय शराब पीते थे। घटना की सूचना थाने पर मृतका के ससुराल वालो ने दिया था मैं भी थाने पर गयी थी। मैं थाने पर बाहर बैठी थी मुझसें थाने पर कोई पूछताछ नहीं हुआ था मैं थाने पर कही दस्खास्त व निशानी नहीं लगायी थी। मैं लाश देखी थी, मेरी लड़की को उसके सिर में चोट लगी थी चोट के कारण आँख भी निकल गयी थी। शरीर पर और कही चोटें नहीं थी। प्रमिला मेरे घर आती जाती थी। मेरे वहाँ ज्यादे नहीं रहती थी।

यह कहना सही है कि मैंने घटना को अपनी आँख से नहीं देखी थी,

क्यों उस समय मैं अपने घर पर थी।

यह कहना सही है कि मेरे नाती ने जो हमसे कहा वही बयान दे रही हूँ।

यह कहना गलत है कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ।''

<u>P.W.–4 डा० राजेश कुमार सिंह –</u>

P.W.–4 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 16.06.2025 में कहा है कि "मैं जिला चिकित्सालय गोरखपुर में दिनांक 02.10.2023 को आर्थो सर्जन के पद पर कार्यरत था। दिनांक 02.10.2023 को मेरी ड्यूटी B.R.D. मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम हाउस में ड्यूटी लगायी गयी। दिनांक 02.10.2023 के शाम 05.20 मिनट पर मृतका प्रमिला देवी केशव का विच्छेदन मेरे द्वारा किया गया। जिसमें मृतका प्रमिला देवी पत्नी संजय साकिन–वनकटा थाना–कप्तानगंज का शव विच्छेदन मेरे द्वारा किया गया जिसमें पाया गया कि बांयी आँख से लेकर बांयी कान तक (Left Temporal Region) में 37 टांके पाये गये। टांके खोलने पर (Left Tempral bone crussed) ब्रेन मैरट स्कल्प ब्रेन के अन्दर नहीं पायी गयी, जिसका साईज 1 cm X 4cm. में था। मृतका की सर में चोट के कारण मृतका कोमा में गयी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी, जिसकी अवधि लगभग 24 घंटे की है। यह घटना चौबीस घंटे के अन्दर की है। शव विच्छेदन की प्रक्रिया शाम 05.20 से शुरू होकर 05.40 तक पूर्व कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर बंद लिफाफे में हेड का० पट्टू गौतम, थाना गुलरिहा गोरखपुर को दिनांक 02.10.2023 को शाम को सौप दिया गया। मृतका प्रमिला देवी पत्नी संजय के शव को सील करके हेड का० पट्टू गौतम थाना गुलहरिया को सौप दिया गया। मृतका प्रमिला देवी का शव विच्छेदन हेतु पोस्टमार्टम हाउस में का० पट्टू चौहान थाना गुलहरिया द्वारा लाया गया था। मृतका प्रमिला देवी के शव का पोस्टमार्टम करने के पश्चात शव के साथ लाये गये कुल आठ संलग्नक (अनुलग्नक) पर अपना हस्ताक्षर का P.M. रिपोर्ट मैंने खुद के हस्तलेख में तैयार कर हस्ताक्षर बनाकर दो लिफाफे में रखकर सील कर शव लाने वाले का० पट्टू गौतम को लाश के साथ सुपुर्द कर दिया था। साक्षी को सामिल पत्रावली कागज सं० 9क/1 P.M. रिपोर्ट दिखाया गया देख पढ़कर उल्लिखित तथ्यों की तसदीक करते हुए स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान की। साक्षी की पहचान पर इस पर **प्रदर्श–क–1** डाला गया। विवेचक महोदय ने इस संबंध में मुझसे पूछताछ कर बयान लिया था।"

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष –</u>

P.W.–4 ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मेरा नाम डा० राजेश कुमार सिंह है। मैं इस समय सदर अस्पताल जिला अस्पताल

गोरखपुर में आर्थो सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। मैं वर्ष 2014 से जिला चिकित्सालय गोरखपुर में सेवारत हूँ। मैं वर्ष 2012 से सेवा में हूँ। 2019 से पूर्व मैं P.G. करने गया था। मृतका प्रमिला देवी के शव का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम B.R.D. मेडिकल कालेज पोस्टमार्टम हाउस में किया गया था। पोस्टमार्टम के लिए मेरी B.R.D. मेडिकल कालेज में ड्यूटी लगी थी। मेरे पास लाश का पोस्टमार्टम करो हेतु का० पट्टू गौतम लेकर आये थे। शव का पहचान के लिए कि वह शव मृतका प्रमिला देवी का ही है, शव के साथ एक इन्क्लोजर लगा होता है जिस पर शव का डिटेल लिखा होता है। उसी से शव की पहचान की जाती है। जिस लाश का पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया उसकी आयु लगभग 35–40 वर्ष रही होगी। शव का पोस्टमार्टम मृत्यु से 24 घंटे के अन्दर किया गया। मृतका प्रमिला देवी के शरीर पर केवल एक चोट थी। मृतका के शरीर पर जो चोट थी, वह मृत्यु के पूर्व की थी। मृतका के शरीर पर जो चोट थी वह हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट से कारित हो सकती है। मृतका के शरीर पर जो चोट थी, ऐसी चोट गिरने से भी आ सकती है। मृतका के सिर में चोट लगी थी। शरीर पर कोई चोट नहीं थी। शव का पोस्टमार्टम करने में हमें 20–25 मिनट लगा। अपने पूरे सेवा में मेरे द्वारा लगभग 150 लाश का पोस्टमार्टम किया गया। मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार के हाथापाई या लाठी डंडा का कोई चोट नहीं था। मृतका के पोस्टमार्टम के समय उसके आमाशय में Semi Solid पदार्थ पाया गया।

सामान्यतया मनुष्य के शरीर में भोजन के पचने में 4–5 घंटे का समय लगता है। मृतका के शरीर में लगभग 24 घंटे पूर्व का भोजन पाया गया था। पोस्टमार्टम के समय मेरे साथ कोई सहयोगी डाक्टर नहीं था, स्टाफ थे।

मेरी राय में मृतका की मृत्यु का सम्भावित कारण सिर में आयी चोट है।

यह कहना गलत है कि मैने शव का ठीक प्रकार से पोस्टमार्टम नहीं किया इसलिए मृत्यु का सटिक कारण नहीं बता सकता।"

P.W.–5 गोधनी –

P.W.–5 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 03.07.2025 में कहा है कि "घटना हुए एक साल नौ महीना हुआ। भोर के 4 बजे का समय था। मेरा लड़का संजय प्रसाद व उसकी पत्नी प्रमिला देवी और उसका लड़का सत्यम अपने कमरे में सोये थे तभी किसी बात पर नाराज होकर संजय ने अपनी पत्नी के सिर में फावड़े से मार दिया जिससे उसका सिर फट गया। बेड व चादर पर खून से भीग गया। सत्यम चिल्लाया तो संजय उसे धक्का देकर भाग गया। तब गम्भीर स्थिति में प्रमिला को मेरे पति व गांव के लोग गोरखपुर मेडिकल कालेज ले जाया गया जहाँ उसी दिन मेडिकल कालेज में उसकी मृत्यु हो गयी। घटना का दरखास्त मैंने गांव के

हरेन्द्र से लिखवाया व अपना निशानी अंगूठा बनवाया। दरोगा जी को दिया तब मुकदमा दर्ज हुआ। दरोगा जी घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ कर बयान लिये थे। घटना के संबंध में बयान लिये थे।

दरोगा जी को मैं घटना स्थल दिखायी थी और फावड़ा तथा खून से सना तकिया व खोल तथा प्रमिला का कपड़ा, सादा मिट्टी बरामद करके अपने साथ ले गये। लिखा पढ़ी किये जिस पर मुझसे निशानी अंगूठा लगवाया।

साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 5क/1 मूल तहरीर दिखाया गया, देखकर तहरीर को उस पर बने अपने अंगूठा निशानी का पहचान किया, जिस पर **प्रदर्श–क–2** डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 11क/1 फर्द बरामदगी दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर अपने बने अंगूठा निशानी की पहचान किया।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

P.W.–05 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि "मुझे तीन लड़के है, तीनों लड़के अलग–अलग रहते है। मैं अपने छोटे लड़के विजयी के साथ रहती हूँ। तीनों का मकान अलग–अलग है। विजयी के घर से सटा हुआ संजय का घर है। मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैं घटना नहीं देखी थी, मैं दरखास्त नहीं दी थी। दरखास्त पर लगा अंगुठा का निशान जो प्रदर्श–क–2 पर है, वह मेरा नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। दरखास्त प्रदर्श–क–2 किसके द्वारा लिखा गया या दिया गया मुझे जानकारी नहीं है। किस हथियार से संजय ने अपनी पत्नी को मारा यह भी मैं नहीं बता सकती, उसका दवा इलाज कहाँ हुआ यह भी मैं नहीं जानती।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त मेरा पुत्र है, इसलिए मैं आज झूठा बयान दे रही हूँ।

दरोगा जी मेरा कोई बयान नहीं लिये थे। दरोगा जी हमसे किसी कागज पर हस्ताक्षर या अंगुठा नहीं लगवाये थे।"

<u>P.W.–6 नागेन्द्र गोड़ (उपनिरीक्षक)</u> –

P.W.–6 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 16.07.2025 में कहा है कि "दिनांक 03.10.2023 को मैं बतौर उ०नि० कप्तानगंज में तैनात था उस दिन मुझे दिनांक 02.10.2023 को थाना हाजा में दर्ज मु०अप०सं० 463/2023, धारा–304 भा०दं०सं० विरूद्ध संजय प्रसाद की विवेचना हस्ब आदेश प्रभारी निरीक्षक जरिये नकल चिक, नकल रपट व अन्य संबंधित कागजात के साथ मुझे वास्ते विवेचना सुपुर्द हुई थी। उसी दिन दिनांक 03.10.2023 को ही मामले के विवेचना में मामूर हो C.D. पर्चा नं० 1 किता किया है, जिसमें नकल तहरीर, नकल रपट, लेखक F.I.R. हेड मोहर्रिर सुरेन्द्र नाथ राय तथा वादी मुकदमा

गोधनी देवी का बयान लेकर तथा उसके द्वारा बताये गये घटना स्थल का निरीक्षण कर अंकित C.D. किया है, तत्पश्चात उसी दिन गवाह सत्यम, पन्नेलाल, राबड़ी देवी, हरेन्द्र का बयान लेकर अंकित C.D. किया है, तत्पश्चात उसी दिन मृतका के पुत्र सत्यम के निशानदेही पर आलाकत्ल फावड़ा खूना लूदा व सादी मिट्टी तथा खूनलूदा कपड़ा बरामद कर फर्द तैयार कर विवरण C.D. करते हुये पर्चा किता किया है।

पुनः दिनांक 04.10.2023 को मामले की विवेचना में मामूर हो C.D. पर्चा नं० 2 किता किया है, जिसमें मामले में वांछित अभियुक्त की तलाश किये जाने का व दस्तयाब न होने का विवरण अंकित करते हुए पर्चा किता किया है।

पुनः दिनांक 07.10.2023 को मामले की विवेचना में मामूर हो C.D. पर्चा नं० 3 किता किया है, जिसमें अभियुक्त को तलाश किये जाने कोई पता सुराग न चलने के अभियुक्त का विवरण अंकित किया है।

पुनः दिनांक 11.10.2023 को पर्चा नं० 5 किता किया जिसमें अभियुक्त को सम्भावित स्थानों पर तलाश किया तथा पंचायतनामा का अवलोकन तथा P.M. रिपोर्ट का अवलोकन किया, P.M. रिपोर्ट में मृत्यु पूर्व आयी चोटों के फलस्वरूप होने कोमा (एण्टीमार्टम इंजरी) का होना पाया गया है।

पुनः दिनांक 18.10.2023 को पर्चा नं०–6 किता किया है, जिसमें अभियुक्त को तलाश की सम्भावित स्थान पर दबिश देना और पता न चलने का विवरण अंकित किया हैं।

पुनः दिनांक 19.10.2023 को पर्चा नं० 7 किता किया है जिसमें अभियुक्त की तलाश किया तथा उसका विवरण अंकित किया।

पुनः दिनांक 27.10.2023 को पर्चा नं० 8 किता किया जिसमें पूर्व में भेजे गये संबंधित मुकदमा से प्राप्त डॉकेट का अवलोकन किया गया हैं।

पुनः दिनांक 02.11.2023 को पर्चा नं० 9 किता किया है जिसमें मृतका का P.M. भरने वाले उ०नि० विवेक कुमार मिश्र का बयान अंकित किया है व अभियुक्त की तलाश की गयी।

पुनः दिनांक 09.11.2023 को पर्चा नं० 10 किता किया जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर फर्द तैयार किया गया जिसके गिरफ्तारी प्रपत्रों का अवलोकन किया गया है तथा अभियुक्त का बयान अंकित किया गया है तथा न्यायालय से 14 दिन के रिमाण्ड का प्रार्थना किया गया है।

पुनः दिनांक 16.11.2023 को पर्चा नं० 11 किता किया गया है जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर के डॉकेट की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया है तथा पूर्व किता किये गये पर्चो का जिक्र करते हुए दिनांक 27.11.2023 को ही मैंने अभियुक्त संजय प्रसाद उपरोक्त को धारा 304 भा०दं०सं० के अपराध में आरोप पत्र संख्या A482/2023 में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज संख्या 3क/1 दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि यह आरोप पत्र मेरे द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त संजय प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 304 भा०दं०सं० दिनांक 27.11.2023 को प्रेषित किया जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने होने की पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–3** डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज संख्या 7क/1 नक्शा नजरी दिखाया गया जिसे देख कर साक्षी ने कहा वादी मुकदमा के निशान देही पर तैयार किया था जिसे अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर होने की साक्षी ने पहचान किया जिस पर **प्रदर्श–क–4** डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली कागज संख्या 11क/1 आलाकत्ल फावड़ा, रक्त रंजित मृतका के कपड़े व एक अदद रक्त रंजित तकिया खोल सहित एक डिब्बे में रखी रक्त रंजित मिट्टी तथा एक डिब्बे में सादी मिट्टी घटना स्थल से प्राप्त कर सील मोहर किया गया जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जो साक्षी ने होने की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श–क–5** डाला गया।

आगे इस साक्षी ने बयान दिया है कि मु०अप०सं० 463/2023 थाना कप्तानगंज, कुशीनगर बनाम संजय प्रसाद 178–SERO 23 संबंधित मुकदमें की माल मुकदमाती एक कपड़े में सील मोहर है, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। जिसे न्यायालय के समक्ष न्यायालय की सहमति से सील मुहर खोला गया, जिसके अन्दर आलाकत्ल फावड़ा वेट सहित व रंक्त रंजित मृतका के कपड़े व दो टीन के डिब्बे में जो सील बंद है एक में खून आलूदा मिट्टी एक में शादी मिट्टी है। एक सील बंद कपड़े में अभियुक्त संजय का टी शर्ट, एक तकिया खूनालूदा सील बंद मिले जिसे खोल कर देखा गया। जिसका साक्षी ने तसदीक किया और बताया कि घटना स्थल से मैंने इन सभी वस्तुओं को बरामद किया था तथा नियमानुसार सील किया था।

साक्षी को एक टीन के डिब्बे जो सील मुहर है जिस पर मु०अप०सं० 463/2023 धारा 304 भा०दं०सं० थाना कप्तानगंज बनाम संजय प्रसाद जिस पर सूक्ष्म हस्ताक्षर मेरा है, जिसमें सादी मिट्टी रखी गयी है तथा दूसरे तरफ 178–SERO–23/34 लिखा है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–2** डाला गया।

दूसरे डिब्बा सफेद कपड़े में जो सील है, जिसमें खून आलूदा मिट्टी है जिस पर 178–SERO–23/2334 व मु०अप०सं० 463/2023 धारा–304 भा०दं०सं० थाना–कप्तानगंज बनाम संजय प्रसाद जिस पर **वस्तु प्रदर्श–3** डाला गया।

एक सील बंद कपड़े में (पोटली) जिसमें मृतका कपड़ा है, सील के उपर मु०अप०सं० 463/2023 बनाम संजय प्रसाद मृतका कपड़ा लिखा है तथा उसमें सूक्ष्म हस्ताक्षर है, जिस पर 3.10.23 लिखा है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–4**

डाला गया तथा उसी के उपर मु०अप०सं० 463/2023 धारा 304 भा०दं०सं० थाना कप्तानगंज अंकित है जिस पर 178–SERO 23/23.24 लिखा है।

एक पोटली में सील बंद जिसके अन्दर अभियुक्त संजय प्रसाद का टी–शर्ट खून लगा रखा है जिसके उपर मु०अप०सं० 463/23 धारा 304 भा०दं०सं थाना कप्तानगंज बनाम संजय प्रसाद व सूक्ष्म हस्ताक्षर है, जिस पर 3.10.23 अंकित है, साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया तथा उसके दूसरे हिस्से में 178–SERO–23/2334 लिखा पर **वस्तु प्रदर्श–5** डाला गया।

एक पोटली में मृतक का तकिया खोल सहित खून लगा रखा है, जिसके उपर 178–0 SERO–23/2334 मु०अप०सं० 463/23 धारा 304 भा०दं०सं० थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर बनाम संजय प्रसाद तकिया मृतका प्रमिला देवी जिस पर 03.10.23 अंकित है, जिस पर सूक्ष्म हस्ताक्षर है, जिस पर **वस्तु प्रदर्श–6** डाला गया।

आलाकत्ल कुदाल वेट सहित जो एक कपड़े में सील है, जिस पर मु०अप०सं० 463/23 धारा 304 भा०दं०सं० बनाम संजय प्रसाद व 178–SERO–23 जिस पर आलाकत्ल लिखा है तथा मेरे सूक्ष्म हस्ताक्षर है जिस पर 03.10.23 अंकित है। आलाकत्ल फावड़ा की पहचान किया जिस पर **वस्तु प्रदर्श–7** डाला गया।

सामिल पत्रावली का०सं० 13क/15 को साक्षी को दिखाया गया तथा साक्षी ने देख पढ़कर बताया कि मेरे द्वारा विवेचना के क्रम में माल मुकदमाती छः अदद को सील मोहर कर जाँच हेतु F.S.L. को C.O. साहब के माध्यम से भेजवाया था जिस पर C.O. साहब ने F.S.L. गोरखपुर भेजे थे, जिस पर **प्रदर्श–क–8/P.W.–6** डाला गया।"

<u>P.W.–7 हेड का० सुरेन्द्रनाथ राय –</u>

P.W.–7 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 22.07.2025 में कहा है कि "मैं दिनांक 02.10.2023 को थाना कप्तानगंज में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात था। दिनांक 02.10.2023 को कार्यालय थाना में समय 13.56 बजे वादिनी श्रीमती गोधनी देवी पत्नी बाबूलाल साकिन–बनकटा, थाना–कप्तानगंज जिला कुशीनगर द्वारा हरेन्द्र प्रसाद से लिखवाकर तथा अपना निशानी अंगूठा बनाकर दिया था, जिस पर प्रभारी निरीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था। जिस पर मैं मु०अप०सं० 463/2023 धारा–304 भा०दं०सं० बनाम संजय प्रसाद के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी कायमी उसी समय दिनांक 02.10.2023 समय 13.56 बजे पर रपट नं० 30 कायम कराया गया। कम्प्यूटर आपरेटर को बोल बोलकर कायम कराया। नकल चिक व नकल रपट विवेचक को दे दिया। विवेचक ने पूछताछ कर मेरा बयान अंकित किया था।

साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 6क/1 ता 6क/3 मूल F.I.R. साक्षी को दिखाया गया तो जिसे देख पढ़कर साक्षी ने बताया कि यह मूल F.I.R. मैंने बोल बोलकर कम्प्यूटर से तैयार कराया था। जिस पर प्रभारी निरीक्षक का हस्ताक्षर है, जिस पर **प्रदर्श–क–6** डाला गया।

साक्षी को सामिल पत्रावली का०सं० 6क/4 दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि उक्त नकल रपट संख्या 30/02.10.2023 समय 13.36 मैंने कम्प्यूटर से बोल–बोल कर तैयार कराया था, जिस पर **प्रदर्श–क–7** डाला गया।

विवेचक ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।'’

प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष –

P.W.–07 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मैं थाना प्रभारी के आदेश पर मुकदमा कायम किया। तहरीर में जो लिखा था वह सही है या गलत उसका दरियाफ्त मैंने नहीं किया, जो F.I.R. कायम हुआ उसे मैंने बोलकर कम्प्यूटर आपरेटर से लिखवाया। G.D. भी मैंने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोल कर लिखवाया। यह दोनों डाक्यूमेंट मेरे लेख व हस्ताक्षर में नहीं है। मैंने विवेचक को बयान दिया था कितने दिन बाद बयान दिया था याद नहीं है। मैं मौके पर नहीं गया था। तहरीर जो दी गयी है उसमें क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं बता सकता।

यह कहना गलत है कि मैं प्रभारी निरीक्षक के दबाव में उक्त मुकदमा तहरीर के आधार पर कायम कराया।”

P.W.–8 विवेक कुमार मिश्रा (उप निरीक्षक) –

P.W.–8 ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांकित 19.01.2026 में कहा है कि "दिनांक 02.10.2023 को में बतौर उप निरीक्षक, थाना–गुलहरिया के पुलिस चौकी मेडिकल कालेज पर बतौर चौकी प्रभारी कार्यरत था। उसी दिन दिनांक 02.10.2023 को हस्व सूचना बहवाले रपट नं० 17 समय 11:25 बजे जरिये वार्ड बाय जाहिउल्लाह ट्रामा सर्जरी ओ.पी.डी. बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर की फौती सूचना मृतक प्रमिला देवी पत्नी संजय निवासी बनकटा, थाना कप्तानगंज, जिला कुशीनगर उम्र 40 वर्ष की मृत्यु हो जाने की सूचना पर में उप निरीक्षक मय जिल्द पंचायतनामा और अन्य दिगर कागजात के साथ पोस्टमार्टम हाउस बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर मौके पर पहुंचा जहां मृतका के शव के पास मृतक के परिजन और सगे संबंधी भी मौजूद थे, मौके पर मौजूद मृतका के परिजनों में से दो महिलाओं से मृतका के शव को परीक्षण करा/चोटों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद लोगों में से पाँच लोगों को पंच बनाकर शव के पंचायतनामा की कार्यवाई में मामूर हुआ। मृतका के ललाट पर अस्पताली पट्टी लगी हुई थी बायें आँख पर सूजन व कालापन था नाक से ब्लीडिंग मौजूद थी।

राय पंचांन में सभी पंचगणों ने बताया कि सर पर कुदाल से मारकर चोट पहुंचाई गई थी जिन चोटों के वजह से दौरान दवा ईलाज मृतका की मृत्यु हो गई और शव के पीएम कराये जाने का राय भी पंचगणों ने दिया था। पंचगणों की राय से मृत्यु का कारण पुर्णतः स्पष्ट न होने के कारण शव के पीएम कराये जाने की मुझ उप निरीक्षक की राय होने का विवरण मैने पंचायतनामा प्रपत्र पर अंकित किया है। पंचायतनामा प्रपत्र मैनें स्वंय के हस्तलेख में तैयार किया है, पंचायतनामा प्रपत्र तैयार करने के पश्चात मौके पर ही पंचगणों से भी उनके अलामात बनवाये गये थे और मैने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। हमराही हे का० पत्तु गौतम ने भी तैयार पंचनामा प्रपत्र पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। तत्पश्चात शव को सील सर्व मोहर कर पीएम हेतु भेजवा दिया था।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या 8 क/1 पंचायतनामा प्रपत्र दिखाया गया, देख पढ़कर उल्लिखित तथ्यों को तस्दीक करते हुये पंचायतनामा प्रपत्र स्वंय के लेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–9** डाला गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या 13 ख/6 पुलिस प्रपत्र 13 दिखाया गया देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–10** डाला गया।

साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या 13 ख/9 फोटोनास दिखाया गया देख पढ़कर स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पहचान की जिस पर **प्रदर्श–क–11** डाला गया।

विवेचक महोदय ने इस संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिया है।''

<u>प्रतिपरीक्षा द्वारा बचाव पक्ष</u> –

P.W.–08 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मुझे याद नहीं है कि मैं गुलरिया पुलिस चौकी पर कब से कब कार्यरत था। प्रमिला देवी की मृत्यु की सूचना मुझे वार्ड बाय के द्वारा मिली। वार्ड बाय का नाम जहिउल्लाह था। मैने वार्ड बाय का नाम उससे पूछा था। मृतका के पास पाँच से ज्यादा लोग थे जो उसके करीबी व रिश्तेदार थे। उसमें दो महिलायें सरस्वती देवी व रावड़ी देवी था बाकी पुरूष थे जिनका नाम मुझे याद नहीं है। मृतका के शरीर पर सर पर कुछ चोटे लगी हुई थी बाकी मुझे याद नहीं है। मैंने चोट देखा या पट्टी देखा मुझे याद नहीं है। मृतका के शरीर पर चोट कैसे लगी थी ये स्पष्ट नहीं था इसी कारण पी०एम० कराया गया था। पंचायतनामा मेरी हस्तलिपि में है। जिन दो महिलाओं का नाम मैने बताया है उनका मृतका से क्या संबंध था मैने नहीं पूछा था, मृतका के करीबी रिश्तेदार थी। बाकी तीन लोग उनके जानने वाले थे या रिश्तेदार थे। पंचायतनामा पर जो हस्ताक्षर किये गये है वह उनके वास्तविक हस्ताक्षर है। शव को हमराह सिपाही पत्तु गौतम ने

सील किया था। पत्तु गौतम का हस्ताक्षर पंचायतनामा पर है। शव पर मैंने कितनी चोटे देखी मुझे याद नहीं है।

यह कहना गलत है कि मैने पंचायतनामा में जानबूझकर उनकों रिश्तेदारों को गवाह नहीं बनाया है।

यह कहना गलत है कि पंचायतनामा पर जितने गवाह हैं वह स्वतंत्र गवाह नहीं है।''

7– अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दिनांक 16.04.2026 व 19.05.2026 को न्यायालय के द्वारा अभियुक्त संजय प्रसाद का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसने अभियोजन साक्षीगण के बयान को गलत व झूठा बताया है और कथन किया है कि घटना उसने कारित नहीं किया है, घटना के एक माह बाद पुलिस उसे पकड़ कर इस मुकदमें में चालान कर दी तथा रवि शंकर मेरा साला मुझसे 80 हजार रूपये मांग रहा था, रूपये न देने के कारण गलत तथ्यों पर मेरा नाम मुकदमें में डलवा दिया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

8– प्रस्तुत मामले में अवधारणा का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304 भा०दं०सं० का आरोप साबित होता है?

9– न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय एवं बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण पाठक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10– अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन अभियुक्त संजय प्रसाद के विरूद्ध लगे आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये तथ्य एवं औपचारिक साक्षीगणों के साक्ष्य से इस तथ्य को सिद्ध करने में अभियोजन सफल रहा है कि दिनांक 02.10.2023 की रात्रि सुबह 4 बजे अभियुक्त के द्वारा फावड़े से अपनी पत्नी प्रतिमा के सिर पर जानलेवा हमला कर प्राणघातक चोटें कारित की गयी। अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी चोटों के कारण मृतका प्रतिमा की मृत्यु दौरान इलाज B.R.D. मेडिकल कालेज गोरखपुर में हो गयी। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन के द्वारा घटना स्थल, आलाकत्ल फावड़ा, खून आलूदा मिट्टी व खून से सने कपड़ों को भी सिद्ध किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना की सूचना अविलम्ब

दर्ज करायी गयी है जो अभियुक्त को झूठा आरोपित किये जाने की सम्भावना को दर किनार करता है। अभियोजन के द्वारा पंचनामा एवं आरोप पत्र इत्यादि को साबित किया हैं। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत मामले के चक्षुदर्शी साक्षी P.W.–1 सत्यम, जो कि अभियुक्त व मृतका का लड़का है, को परीक्षित कराया गया है, जिसने स्पष्ट रूप से अभियुक्त के द्वारा उसकी माँ मृतका प्रतिमा की हत्या किये जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अभियोजन के द्वारा अभियुक्त को लगे आरोपों से दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

11– उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा हैं। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षी P.W.–1 के द्वारा झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा हत्या किये जाने के मोटिव को सिद्ध करने में असफल रहा हैं। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में विलम्ब है, जिसका स्पष्टीकरण अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था, उसको उसके साले रविशंकर ने झूठा फंसाया है जिससे कि उसको 80 हजार रूपये वापस देना न पड़े। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को लगे आरोपों से दोष मुक्त किया जाय।

12– प्रस्तुत मामले में अभियोजन को इस तथ्य को सिद्ध करना है कि दिनांक 02.10.2023 की सुबह अभियुक्त घटना स्थल पर अपनी पत्नी मृतका प्रमिला के साथ मौजूद था और उसने फावड़े से जानलेवा हमला कर प्राणघातक चोटें पहुँचायी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

13– अभियोजन के द्वारा मृतका प्रमिला की मृत्यु के कारण को सिद्ध करने के लिए P.W.–4 डा० राजेश कुमार सिंह को परीक्षित कराया है, जिन्होंने मृतका के पोस्टमार्टम जो कि पत्रावली पर मौजूद है, को बतौर प्रदर्श–क–1 को सिद्ध किया है। अभियोजन साक्षी ने दौरान पोस्टमार्टम मृतका के सर पर बांयी आँख से लेकर कान तक 37 टांके पाये। टांके खोलने पर ब्रेन मैटर नहीं था। मृतका के सर में लगी चोटों के कारण वह कोमा में चली गयी और उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये इस विशेषज्ञ साक्षी ने प्रदर्श–क–1 में स्पष्ट रूप से मृत्यु का

कारण मृतका के सर में आयी Antimartom Injury व कोमा दर्शित किया है। अर्थात मृतका की मृत्यु सर में लगी गम्भीर चोट के कारण हुई है। मृतका पहले चोटे के प्रभाव में कोमा में गयी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका के सर पर 37 टांके लगे थे।

उपरोक्त अभियोजन साक्षी के द्वारा इस तथ्य को सिद्ध किया है कि मृतका प्रमिला की मृत्यु दिनांक 02.10.2023 को सर में लगी प्राणघातक चोटों के कारण हुई। मृतका चोटों के कारण पहले कोमा में गयी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी। चोट इतनी गम्भीर थी कि ब्रेन मैटर बाहर आ गया। बचाव पक्ष के द्वारा दिया गया इस आशय का सुझाव मृतका के सर पर चोटें गिरने से आ सकती है, न्यायालय की राय में सम्भव नहीं है व तर्कहीन है। चूँकि मृतका के सर पर बांयी आँख से लेकर कान तक गहरी चोट मौजूद थी, जो कि किसी हार्ड आब्जेक्ट से बहुत ही ताकत के साथ मारने से आ सकती है। गिरने से इतनी गहरी व गम्भीर चोटें नहीं आ सकती है। जहाँ कि मृतका के कमरे का फर्श कच्चा मिट्टी का है।

मृतका के शरीर पर पायी गयी चोटें दुर्घटना वश नहीं आ सकती बल्कि उक्त चोट भारी कुदाल से मारने से ही आ सकती है। इस प्रकार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मृतका प्रमिला की सर में प्राणघातक चोट पहुँचाकर हत्या की गयी है।

14– अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत मामले में चक्षुदर्शी साक्षी P.W.–1 सत्यम कुमार जो कि मृतका प्रमिला एवं अभियुक्त संजय प्रसाद का पुत्र है, जिसने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि घटना दिनांक 10.02.2023 सुबह 4 बजे व अपनी माँ प्रमिला के साथ सो रहा था। उसके पिता अभियुक्त संजय प्रसाद ने उसकी माँ के सर में फावड़े से वार किया जिससे माँ का सर फट गया। शोर सुनकर वह जग गया उसके पिता अभियुक्त संजय उसकी माँ मृतका प्रमिला को कुदाल से काट कर तथा उसको धक्का देकर घर से भाग गये।

अभियुक्त के द्वारा जिरह की गयी तो उसमें भी इस गवाह ने इसी आशय का साक्ष्य प्रस्तुत किया कि घटना के समय व दिनांक को वह अपने घर के कमरे में अपनी माँ प्रमिला के साथ सोया था। कमरे में केवल तीन लोग थे, वह, उसकी माँ मृतका तथा उसके पिता अभियुक्त संजय। सभी लोग एक ही साथ एक तख्तें पर सोये थे। उसके पिता ने जब मारा तो उसने अपने पिता के पैर अपनी माँ को बचाने के लिए पकड़ लिये। लेकिन उसके पिता संजय उसकी माँ को चोट पहुँचाकर धक्का देकर घटना स्थल से भाग गये।

अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये उपरोक्त साक्षी P.W.–1 मृतका एवं अभियुक्त का 16 वर्ष का बेटा है। दौरान बहस ऐसाकोई तर्क बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया कि क्यों एक बेटा अपने पिता के विरूद्ध साक्ष्य

प्रस्तुत करेगा और न ही न्यायालय के समक्ष ऐसाकोई तथ्य प्रस्तुत किया जो इस साक्षी के साक्ष्य को संदेहास्पद बनाये। अपितु साक्षी के साक्ष्य को पढ़ने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है, चूँकि एक 16 साल का बालक निश्चित रूप से अपनी माँ–बाप के साथ रात में सोता है। साक्ष्य में भी आया है कि उसके पिता को घर में एक कमरा मिला है, जिसमें उनका पूरा परिवार रहता है। साक्षी की घटना स्थल पर उपस्थिति स्वाभाविक है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विश्वसनीय है, जो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि दिनांक 02.10.2023 की सुबह 4 बजे अभियुक्त संजय के द्वारा फावड़े से उसकी माँ के सर पर वार कर हत्या कर दी गयी।

15– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब किया गया है। न्यायालय स्पष्ट कर देना चाहता है कि किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराये जाने में हुआ विलम्ब अपने आप में अभियोजन कथानक को संदिग्ध नहीं बनाता हैं। जब तक कि अभियुक्त उन तथ्यों को सिद्ध न करें कि विलम्ब के कारण शिकायतकर्ता को अभियुक्त को झूठा फंसाने का अवसर प्राप्त हुआ और घटना को जैसी हुई है वैसा दर्शित न करते हुए तोड़ मड़ोड़ कर दर्ज कराया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब हुआ है।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त संजय प्रसाद के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन साक्षी P.W.–5 गोधनी जो कि संजय प्रसाद की सगी माँ है, ने दर्ज करायी है, जिसमें उनके द्वारा कथन किया है कि भोर 4 बजे का समय था, उसका लड़का संजय प्रसाद उसकी पत्नी प्रमिला देवी व लड़का सत्यम अपने कमरे में सोये थे, तभी किसी बात पर नाराज होकर संजय से अपनी पत्नी के सिर में फावड़े से वार कर दिया जिससे उसका सर फट गया। बेड व चादर खून से भींग गया। सत्यम चिल्लाया तो संजय धक्का देकर भाग गया। गम्भीर स्थिति में प्रमिला को मेरे पति गोरखपुर मेडिकल कालेज ले गये जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।

P.W.–2 पन्नेलाल, P.W.–3 राबड़ी देवी को प्रमिला को B.R.D. मेडिकल कालेज, गोरखपुर ले जाने की खबर लगी तो वहाँ पहुँच गये। जब वे वहाँ पहुँचे तो पता चला कि संजय के द्वारा कारित चोटों से प्रमिला की मृत्यु हो चुकी है।

मृत्यु के पश्चात मृतका का दिनांक 02.10.2023 को समय 11.25 पर पंचनामा किया गया, जो कि पत्रावली पर बतौर प्रदर्श–क–9 मौजूद है, जिसको साक्षी के द्वारा भी सिद्ध किया गया है।

अभियोजन साक्षी P.W.–7 सुरेन्द्र राय के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.10.2023 समय 13.57 पर वादिनी गोधनी के तहरीर पर दर्ज की गयी

है। अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.10.2023 को समय 01.57 मिनट पर अंकित की गयी हैं।

पत्रावली पर मौजूद उपरोक्त साक्ष्य इस तथ्य को सिद्ध करता है कि घटना सुबह 4 बजे अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी। मृतका प्रमिला को गम्भीर चोट सर में लगी जिस कारण से उसको चोट लगने के बाद इलाज के लिए गोरखपुर B.R.D. मेडिकल कालेज ले जाया गया। पंचनामा प्रदर्श–क–9 इस तथ्य को सिद्ध करता है कि मृतका की मृत्यु के पश्चात पंचनामा गोरखपुर में दिनांक 02.10.2023 को 11.25 पर हुआ उसके पश्चात वे मृतका के लाश को लेकर घर वापस आये। प्रथम सूचना रिपोर्ट घर आने पर दर्ज करायी गयी, जो उसी दिन 01.57 मिनट पर दर्ज हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। चूँकि मृतका को चोट लगने के तुरन्त बाद उसके ससुराल के लोग सीधे गोरखपुर ले गये और जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु के पश्चता जब वे वापस आये तो मुकदमा दर्ज कराये। मुकदमा अभियुक्त की सगी माँ गोधनी के द्वारा दर्ज कराया गया है, जो अभियुक्त को झूठा फंसाने की सभी सम्भावाओं को समाप्त करती है। कोई भी सगी माँ अपने पुत्र के विरूद्ध झूठा हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करायी गयी।

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है और न ही अभियोजन कथानक पर कोई संदेह उत्पन्न करता है।

16– अभियोजन साक्षी P.W.–6 नागेन्द्र गोड़ के द्वारा फर्द बरामदगी आलाकत्ल फावड़ा, रक्त रंजित मृतका के कपड़े, एक रक्त रंजित तकिये का कवर व रक्त रंजित मिट्टी को प्रदर्श–क–5 के माध्यम से सिद्ध किया है। फर्द बरामदगी में अभियोजन साक्षी P.W.–1 सत्यम कुमार को बतौर साक्षी दर्शित किया है एवं उसका अंगूठा निशान है, जिसने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि आलाकत्ल फावड़े को छोड़कर उसके पिता अभियुक्त घटना स्थल से भाग गये थे। फर्द बरामदगी पर उसने अपने अंगूठे निशान को पहचाना हैं। घटना स्थल से रक्त रंजित कपड़े की बरामदगी को स्वीकार किया है। अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध होता है कि दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा घटना स्थल से आलाकत्ल फावड़ा बरामद किया गया जिसको बतौर वस्तु प्रदर्श–7 के रूप में सिद्ध किया।

घटना स्थल से ही खून से सने कपड़े बरामद किये गये। जिनको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।

पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श–क–12 विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है, के अनुसार क्रम संख्या 1 फावड़ा, क्रम संख्या 2 मिट्टी खून आलूदा, क्रम संख्या 2 मिट्टी मय गिट्टी सादी, क्रम संख्या 3 तकिया,

क्रम संख्या 4 टुकड़ा पेटीकोट, क्रम संख्या 5 टी–शर्ट परीक्षण हेतु भेजे गये तथा परिक्षण परिणाम में वस्तु 1 से 5 पर मानव रक्त पाया गया।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या इस तथ्य को सिद्ध करती है कि आलाकत्ल फावड़ा व अभियुक्त की टी–शर्ट व महिला की पेटीकोट व तकिये पर मानव रक्त मौजूद था। फावड़े पर मानव रक्त का होना इस तथ्य को सिद्ध करता है कि इसी फावड़े से मारकर मृतका प्रमिला की हत्या की गयी है। आलाकत्ल की बरामदगी भी स्वतंत्र साक्षी के माध्यम से सिद्ध किया गया है। अभियुक्त की टी–शर्ट पर रक्त की मौजूदगी भी इस तथ्य को सिद्ध करती है कि वह घटना स्थल पर घटना कारित करते वक्त मौजूद था।

17– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन के द्वारा हत्या कारित करने की मोटिव को सिद्ध नहीं किया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के द्वारा हत्या कारित करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मृतका का पति है और घटना स्थल पर वह, उसका लड़का सत्यम और पत्नी मृतका मौजूद थी। घटना सुबह 4 बजे की है। पत्रावली पर अभियोजन साक्षी P.W.–1 सत्यम कुमार जो कि मृतका व अभियुक्त का बेटा है, का सीधा साक्ष्य मौजूद है कि घटना के दिनांक व समय पर उसके पिता संजय ने फावड़े से उसकी माँ मृतका के सर पर गम्भीर चोटें कारित की जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। ऐसी स्थिति में जहाँ पर हत्या का सीधा साक्ष्य उपलब्ध है, उस स्थिति में मोटिव महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। चूँकि अपराध सीधे साक्ष्य से सिद्ध हो जा रहा है। न्यायालय की राय में विद्वान अधिवक्ता का तर्क मोटिव के संबंध महत्वहीन है।

18– अभियोजन के द्वारा साक्ष्य के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी घटना स्थल, व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य को भी सिद्ध किया है। न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक विश्लेषण भी किया गया है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य संदेह से परे अभियुक्त के द्वारा किये गये अपराध/हत्या को सिद्ध करते है।

19– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से इस तथ्य को सिद्ध करने में सफल रहा है कि दिनांक 02.10.2023 की सुबह 4 बजे अभियुक्त संजय प्रसाद के द्वारा घटना स्थल अपने घर के कमरे में बेटे P.W.–1 सत्यम कुमार के सामने अपनी पत्नी मृतका प्रमिला के सिर पर फावड़े से जोरदार प्रहार कर जानलेवा चोट कारित की, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। चोट इतनी गहरी थी कि सिर पर 37 टांके

लगे और ब्रेन मैटर बाहर आ गया। अभियुक्त के द्वारा किया गया कृत्य इस आशय का था कि वह हत्या कारित करेगा और कारित की गयी चोट इतनी गम्भीर थी कि उससे मृत्यु निश्चित रूप से सम्भव थी, क्योंकि अभियुक्त के द्वारा इतनी गम्भीर चोट कारित की गयी जिससे मृतका प्रतिमा की मृत्यु कारित होना अतिसम्भाव्य था। फावड़ा नीचे से भारी लोहे से बना होता है और उसमें लकड़ी का बेट लगा होता है। अगर उससे ताकत के साथ किसी व्यक्ति के सर पर वार किया जाय तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जायेगी। हत्या में अभियुक्त के द्वारा फावड़े का इस्तेमाल किया जाना उसके आशय को भी दर्शाता है कि वह हत्या कारित करना चाहता है। अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध धारा 304 (1) भा०दं०सं० की श्रेणी में आता है।

20– अभियोजन अभियुक्त संजय प्रसाद के विरूद्ध लगे आरोप अन्तर्गत धारा 304(1) भा०दं०सं० को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा 304(1) भा०दं०सं० दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त संजय प्रसाद को सत्र परीक्षण संख्या 70/2024, मु०अप०सं०–463/2023, अन्तर्गत धारा–304(1) भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त संजय प्रसाद जिला कारागार, देवरिया से उपस्थित है।

अभियुक्त संजय प्रसाद को दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।

दिनांक: **11.06.2026** **(सत्यपाल सिंह प्रेमी)**

अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

UPKU010002722024

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–प्रथम, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थितः–**सत्यपाल सिंह प्रेमी**, **एच०जे०एस०**–UP01829

1. सत्र परीक्षण संख्या–70/2024

उत्तर प्रदेश राज्य,

––––अभियोजन पक्ष

बनाम

संजय प्रसाद बउम्र वर्ष पुत्र बाबूलाल प्रसाद,
साकिन–बनकटा, थाना–कप्तानगंज, जनपद–कुशीनगर,

––––अभियुक्त

मु०अ०सं०–463/2023,
धारा–304 (1) भा०दं०सं०,
थाना–कप्तानगंज,
जिला–कुशीनगर।

Order on Sentence

लंच उपरान्त

पत्रावली पुनः लंच बाद 2.30 बजे पर पेश हुई। दोषसिद्ध संजय प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक सुना।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध अपने परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति है। दोषसिद्ध को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करने की याचना की गई।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषसिद्ध के द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है, अभियुक्त के द्वारा मृतका प्रमिला की फावड़े से मारकर हत्या की गई और विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कठोरतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई।

दोषसिद्ध को धारा 304(1) भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्ध के द्वारा अपनी पत्नी मृतका प्रमिला की हत्या की गयी है। जबकि दोषसिद्ध की यह सामाजिक व अन्यथा जिम्मेदारी थी कि वह अपनी पत्नी को सुरक्षित रखे।

परन्तु सुरक्षित रखने के बजाय अपनी पत्नी की क्रूर रूप से जानलेवा हमला कर हत्या कर दिया। मृतका को चोट इतनी गम्भीर पहुँचायी जिससे उसके सिर का ब्रेन मैटर बाहर आ गया। मृतका का बेटा दोषसिद्ध का पैर पकड़ कर रोता रहा कि माँ को मत मारो तब भी दोषसिद्ध के द्वारा अपराध कारित किया गया है। दोषसिद्ध के कृत्य से एक ओर मृतका प्रमिला की हत्या हो गयी और दूसरी ओर एक अबोध बालक के मनोमस्तिष्क पर मानसिक प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध संजय प्रसाद को धारा 304(1) भा०दं०सं० में सश्रम आजीवन कारावास तथा मु० 50,000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 5 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

1- दोषसिद्ध संजय प्रसाद को आरोप अन्तर्गत धारा 304 (1) भा० दं०सं० के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास तथा मु० 50,000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर दोषसिद्ध को 5 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पडेगा।

2- दोषसिद्ध संजय प्रसाद द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधी इस सजा में समायोजित होगी। निर्णय की निःशुल्क प्रति दोषसिद्ध संजय प्रसाद को तत्काल प्राप्त कराई जाय।

3- दोषसिद्ध संजय प्रसाद अभिरक्षा में है, उसे दोषसिद्धि वारण्ट सहित दण्ड भोगने हेतु जिला कारागार, देवरिया भेजा जाय।

दिनांक: **11.06.2026** **(सत्यपाल सिंह प्रेमी)**

अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०-I,

कुशीनगर स्थान पडरौना।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: **11.06.2026** **(सत्यपाल सिंह प्रेमी)**

अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०-I,

कुशीनगर स्थान पडरौना।

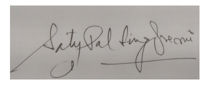

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.06.11 16:42:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court